न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 06/23 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2023/22

अनवान्

1. श्री भंवरलाल पिता वरदा तेली निवासी घासा हाल म.न. 96 नाकोडा नगर धाऊजी की बावडी बेडवास प्रतानगर उदयपुर।

..............प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगु पिता रूपा तेली निवासी घासा तह. मावली। मृतक
1/1 श्री जगदीश पिता मांगु तेली निवासी घासा तह. मावली।
1/2 श्री परसराम पिता मांगु तेली निवासी घासा तह. मावली।
1/3 श्री श्यामलाल पिता मांगु तेली निवासी घासा तह. मावली।
1/4 श्रीमती प्रेमीदेवी पुत्री मांगु पत्नी किशनलाल तेली निवासी मोडी तह. वल्लभनगर।
2. श्रीमती मंजु पत्नी किशनलाल डांगी निवसी बिलोता तह. देलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का घासा तह. मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री हार्दिक चेचानी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1/1 से 1/3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 08.11.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा दुर्गावतो का नोहरा, पटवार हलका घासा के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 2092, 2094, 2097, 2098, 2099, 2113 किता 6 रकबा 1.2950 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में मुझ प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। मौजा घासा पटवार हल्का घासा के परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2845, 3286, 3289 किता 3 रकबा 1.0522 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में मुझ प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:19 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है और मौके पर भी उक्त वर्णित कृषि भूमि का मौखिक या विधिक रूप से बंटवाडा किया हुआ नहीं है जिससे मैं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है फिर विपक्षी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि का विधिक रूप से विभाजन कराये बगैर परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज 1/2 हिस्से की कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 19.12.2022 को विक्रय कर दी जिससे विपक्षी संख्या 2 अब अनाधिकृत रूप से उक्त हक हिस्से को अपने नाम पर रद्दोबदल करवाकर उक्त कृषि भूमि के विशेष भू भाग पर बलपूर्वक कब्जा करने पर उतारू हो रहे है और विपक्षी संख्या 1 भी उक्त कार्य में इनका सहयोग कर रहा है तथा विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भूमि को अपने नाम पर करवाने के लिए नामान्तरकरण की कार्यवाही भी प्रारम्भ करवा दी जो नामान्तरकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2 जो कि अजनबी क्रेता है जिसे बिना विधिक रूप से बंटवाडा कराये संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने या विशेष भू भाग की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी विपक्षी संख्या 2 धनबल एवं भूजबल के जरिये अपने मनमाफिक ढंग से विशेष भू भाग अर्थात् अच्छी किस्म की जमीन पर अनाधिकार रूप से अतिक्रमण कर मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर आमादा हो रही है और मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक चले आ रहे उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा कर रही है और मौके पर अशांति का माहौल तैयार कर रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से मुझ प्रार्थी को अपने हिस्सा को काश्त बनाने में एवं ऋण आदि लेने तथा अपने हिस्से की भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने, विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में निहित मुझ प्रार्थी के हक हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अर्थात् अच्छी में से अच्छी एवं खराब में से खराब किस्म के अनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है इसलिए मुझ प्रार्थी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है और मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:19 IST
Reason: SelfAttested

पर किसी भी प्रकार से बंटवाडा किया हुआ नहीं है लेकिन विपक्षी संख्या 1 द्वारा बिना बंटवाडा कराये अपने नाम दर्ज हिस्से को विपक्षी संख्या 2 को हस्तान्तरित कर दिया है और अब विपक्षी संख्या 1, 2 मनमाफिक ढंग से जोर जबरदस्ती संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विशेष भू भाग पर अनाधिकार रूप से कब्जा करना चाह रहे है और उक्त कृषि भूमि का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने दे रहे है और बाधाएं उत्पन्न कर रहे है तथा आये दिन मुझ प्रार्थी से लडाई झगडा कर मौके पर अशांति का माहौल तैयार कर मौके की स्थिति को बदलने पर आमादा है जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मुझ प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने से मना किया तो विपक्षी संख्या 1, 2 ने मुझ प्रार्थी के साथ लडाई झगडा किया और मरने मारने पर आमादा हुए। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि जब तक वाद वर्णित कृषि भूमि का विधिक रूप से विभाजन न हो जावे तक तक विपक्षी संख्या 1, 2 उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विशेष भू भाग पर कब्जा नहीं करे, प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने करने देवे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। विपक्षी संख्या 3, 4, 5 उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे, विपक्षी संख्या 2 के नाम न तो नामान्तरकरण खोले, न स्वीकृत करे, न अन्य के मार्फत करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 03.01.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विशिष्ट भू भाग पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश की और मना करने पर मुझ प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस [illegible] की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का [illegible] विधिक रूप से विभाजन न हो जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:19 IST
Reason: SelfAttested

तब तक विपक्षी संख्या 1, 2 उक्त कृषि भूमि के विशेष भू भाग पर कब्जा नहीं करे, प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, अपने नाम दर्ज हक हिस्से को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 3 से 5 उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें, विपक्षी संख्या 2 के नाम न तो नामान्तरकरण खोले, न स्वीकृत करे, न अन्य के मार्फत करावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश जैन द्वारा वकालतनामा पेश किया।

8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1/1 से 1/3 द्वारा जवाब पेश कर नहीं खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकने का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा तह. घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 311 पर दर्ज आराजी नम्बर 2092, 2094, 2097, 2098, 2099, 2113 किता 6 कुल रकबा 1.2950 हेक्टेयर एवं मौजा घासा पटवार हल्का घासा तह. घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 524 पर दर्ज आराजी नम्बर 2845, 3286, 3289 किता 3 कुल रकबा 1.0522 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं। सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उनके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं तथा साथ ही विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विपक्षीगण को अपूरणीय [illegible] सकती हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा वाद बंटवाडे का पेश किया था जिसको स्वीकार कर प्रारम्भिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sinvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान में विपक्षीगण हिस्सेनुसार रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:19 IST
Reason: SelfAttested